

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सी. एम. पी. संख्या 428/2019

जयकिशोर प्रजापति

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. सचिव, उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, धुर्वा, रांची
- 3 कुलपति, रांची विश्वविद्यालय, रांची
4. कुलसचिव, रांची विश्वविद्यालय, रांची...उत्तरदाता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

याचिकाकर्ताओं के लिए:श्री विनय कुमार, रांची विश्वविद्यालय के अधिवक्ताश्री शिवम सिंह, डॉ. अशोक सिंह के एसी राज्य के लिए:सुश्री प्रियंका बॉबी, जीए-1 के एसी

05/04. 02. 2022 याचिकाकर्ता ने डब्ल्यूपी (एस) संख्या 3777/2018 को बहाल करने के लिए यह आवेदन दायर किया है, जो दिनांक 04.02.2019 के आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि लापरवाही के कारण निर्धारित समय सीमा के भीतर दोष (ओं) को नहीं हटाया जा सका।वे यह भी निवेदन

करते हैं कि जैसे ही डब्ल्यूपी (एस) संख्या 3777/2018 बहाल की जाएगी, वे दो सप्ताह के भीतर दोषों को दूर कर देंगे।

उपर्युक्त निवेदन पर विचार करते हुए, मैं इस आवेदन में की गई प्रार्थना स्वीकार करने के लिए इच्छुक हूँ। तदनुसार, इस तत्काल याचिका में की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

तदनुसार, डब्ल्यूपी (एस) संख्या 3777/2018 को उसकी मूल फाइल में बहाल किया जाता है। डब्ल्यूपी (एस) संख्या 3777/2018 में कार्यालय द्वारा इंगित दोषों को तीन सप्ताह के भीतर दूर कर लिया जाए।

(आनंदा सेन, न्याया0)